

राजस्थान-सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक:- प.8(06)शिक्षा-5 / आरटीई विविध / 2023(Rajkaj-07711)

दिनांक : यथाहस्ताक्षर

निदेशक,
प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा,
बीकानेर, राजस्थान।

विषय:- गैर सरकारी विद्यालयों में राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 एवं 2017 की पालना तथा पुस्तको, यूनिफार्म आदि के संबंध में।

संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 09.04.2025 एवं निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के पत्र दिनांक 14.05.2024, 29.03.2019 एवं परिपत्र दिनांक 25.04.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों में शिक्षण शुल्क, पाठ्य सामग्री, पुस्तके, स्टेशनरी, यूनिफार्म, टाई-बेल्ट, जूते-जुराब आदि की मनमानी रोकने के संबंध में निदेशालय द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश एवं निरीक्षण प्रारूप जारी किये गये हैं।

इस संबंध में प्राप्त निर्देशों के क्रम में यह लेख है कि निदेशालय द्वारा जारी किये गये उपरोक्त दिशा-निर्देशों की पालना में अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कितने निजी विद्यालयों का निरीक्षण किया गया (प्रारूप सहित), किन-किन विद्यालयों द्वारा विभागीय दिशा-निर्देशों की पालना नहीं की गई है, जिन विद्यालयों द्वारा पालना नहीं की गई है, उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है।

उक्त बिन्दुओं की सम्पूर्ण सूचना सहित दिनांक 21.04.2025 को शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(राजेश दत्त माथुर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जयपुर।
7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Rajesh Dutt Mathur
Designation : Deputy Secretary
Date: 2025.04.16 21:23:45 IST
Reason: Approved



9. सहायक निदेशक (आरटीई), प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
10. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
11. सहायक निदेशक (आरटीई—पीएसपी) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक, समस्त-संभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना आज ही तुरन्त प्रभाव से निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
13. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
14. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर।

शासन उप सचिव

Signature valid

Digitally signed by Rajesh Dutt
Mathur
Designation : Deputy Secretary
Date: 2025.04.16 21:23:45 IST
Reason: Approved